**संख्या- 144 /2024/387/35-4-2024 /35-4099/ 77/2024**

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 23 मार्च, 2024

**विषय:- जनपद- कन्नौज में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या-569/2023/1267/35-4-2023, दिनांक 29 मार्च 2023, द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 14 कार्यों की रू0 492.97 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 246.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत 14 कार्यों में से प्रश्नगत 13 कार्यों (उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2024 के क्रमांक-9 को छोड़कर) की अनुमोदित लागत रू0 460.89 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त में रू0 230.47 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

जिलाधिकारी, कन्नौज के पत्र सं0- 618/त्व0आ0वि0यो0/अव0 किस्त मांग-रा0पा0/2023-24, दिनांक 26.02.2024 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2023 से स्वीकृत प्रश्नगत कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की मांग की गयी है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 230.42 लाख (रूपये दो करोड़ तीस लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

| क्र0 | कार्य का नाम | अनुमोदित लागत | पूर्व में अवमुक्त धनराशि | अवमुक्त हेतु देय धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वि0ख0 कन्नौज में बाबा हाजी से चिन्तामण रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 95.69 | 47.85 | 47.84 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | वि0ख0 कन्नौज के छोछापुर के श्री कन्हैया दुबे के दरवाजे से श्री रामपाल की कालोनी तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 19.45 | 09.73 | 09.72 |
| 3. | वि0ख0 कन्नौज के वाहिदपुर में श्री लोकेन्द्र सिंह के दरवाजे से श्री राजेन्द्र पाल के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 19.29 | 09.65 | 09.64 |
| 4. | वि0ख0 जलालाबाद के तहसीपुर ठठिया में श्री संदीप कटियार के दरवाजे से श्री मदन सिंह पाल के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 07.36 | 03.68 | 03.68 |
| 5. | वि0ख0 जलालाबाद के भानपुर में श्री रामकुमार कटियार के मकान से पुलिया तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 16.65 | 08.33 | 08.32 |
| 6. | वि0ख0 जलालाबाद के गोधनी में बरगद के पास से खेड़ापति मंदिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 14.58 | 07.29 | 07.29 |
| 7. | वि0ख0 उमर्दा में ठठिया भटौरा मार्ग से बॉकी सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। | 54.82 | 27.41 | 27.41 |
| 8. | वि0ख0 हसेरन में भावलपुर से मुखड़ा तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कार्य। | 90.16 | 45.08 | 45.08 |
| 9. | वि0ख0 हसेरन में नादेमऊ डामर रोड से सचिन मिश्रा के आवास तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 33.62 | 16.81 | 16.81 |
| 10. | वि0ख0 हसेरन में नादेमऊ मेन रोड से ग्रामीण बैंक तक सी0सी0 निर्माण कार्य। | 30.46 | 15.23 | 15.23 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | महोना से जोगराखेड़ा तक इंटरलाकिंग एवं सी0सी0 निर्माण कार्य। | 35.64 | 17.82 | 17.82 |
| 12. | अशोक दुबे के हाथा से गंगेश्वर वाटिका गेस्ट हाउस होते हुए लालजी दीक्षित की कोठी तहसील रोड तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य। | 30.59 | 15.30 | 15.29 |
| 13. | नगला तालपार कसावा में मुनीष मिश्रा के दरवाजे होते हुए सत्यप्रकाश के दरवाजे तक इंटरलाकिंग रोड कार्य। | 12.58 | 06.29 | 06.29 |
| | **योग** | **460.89** | **230.47** | **230.42** |

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी |

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 2,30.42,000 लाख (रूपये दो करोड़ तीस लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054- सड़कों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था, 24- वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

**संख्या-144 /2024/387(1)/35-4-2024/35-4099/77/2024/ तददिनांक |**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त,कानपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०।
9- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कन्नौज।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।